झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

संकल्प

विषय :– **जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में चरणवार नियमित रूप से Stake Holders के साथ पारस्परिक समन्वय सुनिश्चित करने के संबंध में।**

जल संसाधन विभाग में योजनाओं/परियोजनाओं के प्रारंभिक संभाव्यता प्रतिवेदन/विस्तृत योजना/परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु परामर्शियों की सेवाएँ प्राप्त की जाती हैं।

विभागीय समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि परामर्शियों के द्वारा योजना/परियोजना से लाभान्वित Stake Holders को कदाचित् विश्वास में लिए बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जमीनी वास्तविकता एवं स्थानीय आवश्यकताओं के नजरन्दाज होने की संभावनाएं प्रबल रहती हैं।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि जिस प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता की योजनायें हैं, उस प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता के स्तर पर प्रत्येक परामर्शी के द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में चरणवार नियमित रूप से संबंधित पदाधिकारियों एवं योजना से लाभान्वित Stake Holders (क्षेत्रीय सांसद/विधायक/वार्ड सदस्य/मुखिया/पंचायत सदस्य/प्रमुख) के साथ बैठक आयोजित की जाए, जिसका वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एवं दस्तावेजीकरण निश्चित रूप से कराया जाए।

3. Stake Holders की बैठक में योजना से संबंधित विभागीय पदाधिकारी तथा लाभान्वित Stake Holders को आमंत्रित करना अनिवार्य होगा।

4. प्रत्येक परियोजना हेतु निम्न वर्णित चरणों (Stages) पर Stake Holder की बैठकें आयोजित की जानी अपेक्षित हैं :–

क्र०	*चरण*	*विवरणी*
1.	*प्रथम*	*प्रसंगाधीन योजना की स्थानीय आवश्यकता/स्थानीय अपेक्षाओं/स्थानीय संसाधनों एवं सीमितताओं का आकलन,इत्यादि करने हेतु आरंभिक बैठक (Kick off Meeting)*
2.	*द्वितीय*	*संभाव्यता प्रतिवेदन प्रारूप तैयार करने के उपरांत।*
3.	*तृतीय*	*विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के उपरांत।*
4.	*चतुर्थ*	*विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अंतिमीकरण के उपरांत।*

5. उपर्युक्त प्रयोजन हेतु संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा यथा निर्धारित तिथि, यथासंभव शनिवार को प्रसंगाधीन बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योजना/परियोजना से संबंधित

परामर्शियों के द्वारा आवश्यकतानुसार विभिन्न अवयवों (components) के प्रस्तुतिकरण किए जाऐंगे।

6. संबंधित मुख्य अभियंता के द्वारा प्रसंगाधीन बैठकों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एवं दस्तावेजीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

बैठक की कार्यवाही तैयार कर बैठक आयोजित होने के (7) सात दिनों के भीतर विभाग में समर्पित की जाएगी, जिसमें दिए गए सुझावों का स्पष्ट, सटीक, संक्षिप्त एवं सारगर्भित वर्णन रहेगा।

7. यह अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करने से स्थानीय लाभुक निवासियों के साथ पारस्परिक प्रबल समन्वयन स्थापित होगा तथा योजना का सूत्रण स्थानीय आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं एवं संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये किया जा सकेगा, जिससे योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय सहयोग के फलस्वरूप तीव्रता आयेगी तथा समयबद्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।

8. यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा तथा इस संकल्प का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से

30.11.18

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 513 राँची, दिनांक :– 03/12/18

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। नोडल पदाधिकारी, ई॰ गजट, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरांत संकल्प की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

30.11.18

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 513 राँची, दिनांक :– 03/12/18

प्रतिलिपि :– माननीया राज्यपाल के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

30.11.18

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 513 राँची, दिनांक :– 03/12/18

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.11.18

अपर मुख्य सचिव